फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री शिवांशु पिता श्री गोविन्द नारायण शुक्ला निवासी सेक्टर नं0 8 मकान नं0 3 जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने के पीछे बीकानेर जिला बीकानेर

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 40/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर सूचनाएं
	दिनांक 12.11.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक प.1()सू0अ0,05/2018/930–31 दिनांक 06.10.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2018 को सूचना के अधिकारी अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 06.09.2018 को प्राप्त हुआ । उक्त आवेदन पत्र से चाही गयी वर्णित वांछित सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग कार्यालय हाजा से संबंधित होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2018/747 दिनांक 06.09.2018 को प्रेषित गया । प्रार्थी/अपीलार्थी आरटीआई आवेदन पत्र की सूचना अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा भिजवाई गई जिसे प्रार्थी अपीलार्थी को आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 व 02 के संबंध में सूचना इस अनुभाग के जरिये पत्रांकः–प.1( )सू0अ0 05/2018/872 दिनांक 16.10.2018 को जरिये रजिस्डर्ट प्रेषित की गई है। प्रार्थी के आरटीआई आवेदन पत्र से चाही गई सूचना अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को चाही गई सूचना निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। कार्यालय के प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी, उसी अनुसार आरटीआई अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु दी गई जिसकी सूचना तैयार कर प्रार्थी/अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है।	

अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा रजिस्टर्ड उपलब्ध करा देने से अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द